रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 289] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 30, 1971/वैशाख 10, 1893
No. 289] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 30, 1971/VAISAKHA 10, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND INTERNAL TRADE

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 30th April 1971

S.O. 1759/IDRA/18A/71.—Whereas the Central Government is of the opinion that Azam Jahi Mills Ltd., Warangal, an industrial undertaking in respect of which an investigation has been made under Section 15 of the Industrial (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), is being managed in a manner highly deterimental to public interest.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 18-A of the said Act, the Central Government hereby authorises National Textiles Corporation (hereinafter referred to as Authorised Controller) to take over the management of the whole of the said undertaking namely, Azam Jahi Mills Ltd., Warangal, subject to the following terms and conditions, namely:—

(i) The Authorised Controller shall comply with all directions issued from time to time by the Central Government;

(ii) The Authorised Controller shall hold office for five years from the date of publication in the official gazette of this notified order;

(iii) The Central Government may terminate the appointment of the Authorised Controller earlier if it considers necessary to do so.

This Order shall have effect for a period of five years commencing from the date of its publication in the official gazette.

[No. F. 9(22) Lic. Pol/70.]

S. K. SAHGAL, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 1971

का० आ० 1759/आई डी आर० ए०/18ए/71.—यतः केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि आजम जहि मिल्स लि०, वारांगल नामक एक औद्योगिक उपक्रम का, जिसके संबंध में औद्योगिक (विकास तथा विनियमन), अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 15 के अधीन एक जांच की गई, प्रबन्ध इस ढंग से किया जा रहा है जो सार्वजनिक हित में बहुत ही अहितकर है ;

अतः अब उपरोक्त अधिनियम की धारा 18-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, आजम जहि मिल्स लि०, वारांगल नामक उपरोक्त सम्पूर्ण अभिकरण का प्रबन्ध अपने अधिकार में लेने के लिए एतद्द्वारा राष्ट्रीय वस्त्र निगम लि० (एतदोपरान्त जो प्राधिकृत नियंत्रक कहा जाएंगा) को प्राधिकृत करती है, जिसकी शर्तें निम्नोक्त हैं; अर्थात् —

(1) प्राधिकृत नियंत्रक, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर दिये गए निर्देशों का पालन करेगा ;

(2) प्राधिकृत नियंत्रक इस आदेश के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि के लिए कार्यभार सम्भालेगा;

(3) केन्द्रीय सरकार यदि आवश्यक समझेगी, तो इससे पूर्व भी इस प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति को रद्द कर सकती है ।

यह आदेश सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशित होने की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा ।

[सं० एफ० 9(22)लिक० पोल/70]

सुरेश कुमार सहगल, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971